2017 का विधेयक संख्यांक 56

[दि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 24 का संशोधन ।

2. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) में "भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों" शब्दों के स्थान पर "भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे । 2014 का 30

धारा 32 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 32 के खंड (क) में "सहायक आचार्य के" शब्दों के स्थान पर "सहायक आचार्य या उससे ऊपर के" शब्द रखे जाएंगे ।

अनुसूची का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं0	राज्य का नाम	विद्यमान संस्थान का नाम	अवस्थान	इस अधिनियम के अधीन संस्थान का नाम
"5.	आंध्र प्रदेश	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान	कुरनूल	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कुरनूल ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 को, अन्य बातों के साथ, कतिपय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन अपनी बाध्यता को प्रभावी करने हेतु आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल में एक नए भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान की स्थापना की थी । अब, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है, जिससे उक्त संस्थान को उस अधिनियम के विस्तारक्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सके और उसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जा सके ।

3. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017, अन्य बातों के साथ, कुरनूल स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने और उसे उक्त अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए है ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **प्रकाश जावड़ेकर**

21 मार्च, 2017

वित्तीय ज्ञापन

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017 का खंड 4, अन्य बातों के साथ, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे कुरनूल स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान को उक्त अधिनियम के विस्तारक्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सके और उसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जा सके ।

2. कुरनूल स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान पहले से ही कार्यकरण कर रहा है और योजना निधि के अधीन उसे वर्ष 2015-16 के लिए 3.10 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2016-17 के लिए उसे 20.00 करोड़ रुपए के बजट संबंधी आबंटन किए गए थे । उक्त संस्थान की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्चतर शिक्षा विभाग के बजट संबंधी उपबंधों से की जाएगी ।

3. विधेयक में भारत की संचित निधि से कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 30) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

24. (1)   *   *   *   *   *   निदेशक ।

(2) खोजबीन-सह-चयन समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :--

*   *   *   *   *   *

(घ) मानव संसाधन विकास के प्रभारी मंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का निदेशक ;

*   *   *   *   *   *

32. प्रत्येक संस्थान के कर्मचारिवृन्द की सभी नियुक्तियां, निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर, परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, निम्नलिखित के द्वारा की जाएंगी,-- नियुक्तियां ।

(क) यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द में सहायक आचार्य के पद पर की जाती है या यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से भिन्न प्रत्येक काडर में की जाती है, जिसका अधिकतम वेतनमान समूह क अधिकारियों के लिए विद्यमान ग्रेड वेतनमान से अधिक है तो बोर्ड द्वारा ;

*   *   *   *   *   *

GMGIPMRND—5380LS(CRC)—22-3-2017.